

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक-F 89/ संस्था / एल एम-01 (210) /2020

जयपुर, दिनांक:- 17.08.2024

कार्यालय आदेश

रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सुखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादी की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2024 से 31.08.2024 तक एक विशेष अभियान **कंज्यूमर केयर अभियान** प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के दौरान विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निरीक्षण कार्यवाही हेतु विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षकों का निम्नानुसार संयुक्त जांच दल का गठन किया जाता है :-

संभाग मुख्यालय – जयपुर			
प्रथम दल			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री अशोक योगी	प्रवर्तन अधिकारी	9950705633
02	श्रीमती मीना डेंचरवाल	प्रवर्तन निरीक्षक	86197-24751
03	श्री कौशल किशोर गुप्ता	सहायक नियंत्रक	9772201975

द्वितीय दल			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री राजेश टांक	प्रवर्तन निरीक्षक	96366-54458
02	श्री सुदर्शन के.पी.	प्रवर्तन निरीक्षक	94626-49813
03	प्रेरणा शर्मा	निरीक्षक, वि. मा.	75974-92849

तृतीय दल			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्रीमती पूजा शर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	99829-42357
02	श्री गोविन्द दान देथा	प्रवर्तन निरीक्षक	82902-32481
03	सुश्री शिवानी अस्थाना	निरीक्षक, वि. मा.	94616-64025



<u>संभाग मुख्यालय – जोधपुर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री पुष्पराज पालीवाल	प्रवर्तन अधिकारी	97724-65055
02	श्री विक्रम देविदास	प्रवर्तन निरीक्षक	70146-72597
03	श्री महेश चन्द जांगिड	निरीक्षक, वि. मा.	94132-57517

<u>संभाग मुख्यालय – उदयपुर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री विजय सिंह	प्रवर्तन अधिकारी	88909-32670
02	निशा मुंदडा	प्रवर्तन निरीक्षक	94625-66823
03	श्री भगवती लाल पालीवाल	निरीक्षक, वि. मा.	92516-30262

<u>संभाग मुख्यालय – अजमेर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री नीरज जैन	प्रवर्तन अधिकारी	94133-79078
02	श्री खान मोहम्मद	प्रवर्तन निरीक्षक	96024-09465
03	श्रीमती भावना दयाल	सहायक नियंत्रक	94625-12352

<u>संभाग मुख्यालय – बीकानेर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री भंवर सिंह राठौड़	प्रवर्तन अधिकारी	80059-14814
02	श्री पवन सुथार	प्रवर्तन निरीक्षक	63786-02949
03	श्री गौकुल चन्द मीणा	निरीक्षक, वि. मा.	77409-39905

<u>संभाग मुख्यालय – भरतपुर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री अर्पित अग्रवाल	प्रवर्तन निरीक्षक	98287-64115
02	श्री पुष्पेन्द्र	प्रवर्तन निरीक्षक	77259-59700
03	श्री राम कुंवर	निरीक्षक, वि. मा.	89495-24879

<u>संभाग मुख्यालय – कोटा</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	अदिति जगरवाल	प्रवर्तन अधिकारी	98879-14623
02	श्री कृष्ण कुमार यादव	प्रवर्तन निरीक्षक	95091-65639
03	श्री लोकेश कुमार मीणा	निरीक्षक, वि. मा.	77377-83338

<u>संभाग मुख्यालय – बांसवाडा</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री धर्मेन्द्र रोट	प्रवर्तन निरीक्षक	90244-77628
02	श्री विनोद पाटीदार	प्रवर्तन निरीक्षक	95115-35162
03	श्रीमती मनाली भट्ट	निरीक्षक, वि. मा.	86960-09272

<u>संभाग मुख्यालय – पाली</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री तेज सिंह मेड़तिया	प्रवर्तन अधिकारी	77268-35564
02	कृष्ण कँवर भाटी	प्रवर्तन निरीक्षक	94146-11211
03	श्री विष्णु दत्त जोशी	निरीक्षक, वि. मा.	90057-24301

<u>संभाग मुख्यालय – सीकर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	सुनीता वर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	88905-13821
02	श्री अंशु तिवाड़ी	प्रवर्तन निरीक्षक	88753-86734
03	श्री जितेन्द्र सचदेवा	निरीक्षक, वि. मा.	94133-42260

<u>जिला मुख्यालय – भीलवाडा</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री मंजीत सिंह	प्रवर्तन अधिकारी	98296-56033
02	श्री महेन्द्र सिंह	निरीक्षक, वि. मा.	80033-20077

<u>जिला मुख्यालय – अलवर</u>			
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
01	श्री विनोद जुनेजा	प्रवर्तन अधिकारी	94143-33399
02	श्री अशोक कुमार	प्रवर्तन निरीक्षक	99839-56869
03	श्री महेश चन्द शर्मा	सहायक नियंत्रक	75977-66333

कंज्यूर केयर अभियान के अंतर्गत दिनांक 18.08.2024 से 31.08.2024 तक की जाने वाली सम्पूर्ण इस कार्यवाही के दौरान जांच दल अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के नियंत्रण एवं निर्देशन में सुनिश्चित करेंगे।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन से उक्त अवधि में अग्रेषित प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण यथा सम्भव तीन घण्टे की अवधि में किया जाकर शिकायत कर्ता को सूचित किया जायेगा। जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही से दैनिक रूप से निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में सूचना dclm.hq1@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपभोक्ताओं द्वारा शिकायते राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नम्बर 18001806030 एवं व्हाट्स एप्प नम्बर 7230086030 तथा ई-मेल आई.डी. stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी दर्ज करवा सकते है।

उक्त संभाग मुख्यालयों तथा अलवर एवं भीलवाडा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी जिलों में जिला रसद अधिकारीगण, सम्बंधित विधिक माप विज्ञान निरीक्षक एवं प्रवर्तन निरीक्षको का दल स्वयं के स्तर पर बनाते हुए उक्त जांच कार्यवाही निर्धारित अभियान अवधि में पुख्ता तरीके से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(भास्कर ए. सांवत)

प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
5. समस्त, संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, सहायक आयुक्त, उप विधि परामर्शी, जनसंपर्क अधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
8. उप निदेशक / उप नियंत्रक, उपभोक्ता मामले विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जांच दलों द्वारा प्रस्तुत दैनिक सूचना को संकलन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को अपलोड एवं सम्बंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
10. सम्बंधित जिला रसद अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियान के लिए नियोजित कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर, अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही उक्त जांच दलों को जांच हेतु वाहन उपलब्ध करवाने एवं जांच पश्चात् प्रतिदिन की कार्यवाही का प्रेस नोट (इलेक्ट्रॉनिक / सोशल / प्रिंट मिडिया) जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
11. श्री शशि शेखर शर्मा एवं श्री राकेश सोनी, प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियान के अंतर्गत उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशन में कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
12. सम्बंधित सहायक नियंत्रक / निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले, विभाग, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दैनिक कार्यवाही निरीक्षण सूचना को सी.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
13. रक्षा पत्रिका।

कंज्यूमर केयर अभियान, 2024

दिनांक 18.08.2024 से 31.08.2024 तक

जांच दिनांक :-.....

संभागीय / जिला मुख्यालय :-.....

क्र.सं.	फर्म का नाम (पूर्ण पता मय मो.न)	पाई गई अनियमितताएं (संक्षिप्त बिन्दु)	विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा, जिसका उल्लंघन पाया गया	जप्ती विवरण	शास्ति विवरण	कोर्ट ऑफ लॉ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8